न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 06/2017

बउनवान

कजोड सिंह पुत्र श्री बालमुकुन्द जाति–लोधा निवासी–तीतरखेडी
पेशा उचित मूल्य दूकानदार तीतरखेडी प्रथम ग्राम पंचायत तीतरखेडी
तहसील–छबडा, जिला–बारां राजस्थान **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये विकास अधिकारी पंचायत समिति, छबडा
जिला–बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील, धारा–22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के तहत।

उपस्थिति :–1. श्री बृजराज सिंह चौहान, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार रसद **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 05.09.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, छबडा के आदेश दिनांक 07.01.2004 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोंडेट अन्तर्गत धारा–22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के तहत प्रस्तुत कर अपील में कथन किया है कि प्रार्थी ग्राम तीतरखेडी प्रथम ग्राम पंचायत तीतरखेडी तहसील–छबडा में उचित मूल्य दूकानदार नियुक्त था, जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 34/95 है, रेस्पोडेंट विकास अधिकारी पंचायत समिति,छबडा ने दिनांक 07.01.2004 को अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर, दिनांक 07.01.2004 को निर्णय पारित कर अपीलांट का प्राधिकार निरस्त कर दिया है, जिससे असन्तुष्ट होकर अपील प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 07.01.2004 विधि विरूद्व एवं न्याय का सर्वमान्य सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। क्योकि अपीलांट द्वारा जितना माल राशन सामग्री का उठाव किया जाता था तथा अपीलांट द्वारा समय समय पर उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण कर दिया गया है। अपीलांट ने राशन वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गयी है, किन्तु उसके बावजूद अपीलांट को गलत रूप से दोषी ठहराया जाकर, प्राधिकार पत्र निरस्त कर, 19 दिन पश्चात् मुकदमा धारा 403 आई.पी.सी. व धारा 3/7 ई0सी0एक्ट के तहत दर्ज कराया गया है जो कानूनन गलत है।

2– अपीलांट के विरूद्व उपरोक्त तथ्यो से संबंधित प्रकरण संख्या 516/04 सरकार बनाम कजोड सिंह धारा, 403 आई.पी.सी. व धारा, 3/7 ई.सी.एक्ट में अपीलांट को दिनांक 27.10.2016 को न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छबडा द्वारा निर्णय पारित कर, अपीलांट को दोषमुक्त किया जाता चुका है। इसलिये अपीलांट उचित मूल्य दूकान का उक्त लाईसेंस बहाल करवाने का वैधानिक अधिकारी है।

3— अपीलांट के विरूद्व दिनांक 2.6.2004 से दिनांक 27.10.2016 तक फौजदारी प्रकरण न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छबडा के यहॉ विचाराधीन रहा है तथा दिनांक 27.10.2016 को उक्त प्रकरण का न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर अपीलांट को दोषमुक्त कर दिये जाने के बाद अपीलांट ने उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर, रेस्पों के कार्यालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि मुझे माननीय न्यायालय अति.मुख्य न्यायिक मजि. छबडा द्वारा दोषमुक्त मानकर बरी कर दिया है इसलिये उसका निरस्त लाईसेंस को बहाल किया जाकर, राशन सामग्री की सप्लायी चालू की जावे। किन्तु रेस्पो. द्वारा कोई सुनवाई नहीं की है। इसलिये अपील न्यायालय में पेश की गयी है।

4— अपीलांट ने उक्त अपील न्यायालय अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छबडा से दिनांक 27.10.2016 को बरी होने व अपीलांट बीमार हो जाने के कारण अपील पेश नहीं कर सकता तथा स्वस्थ होने पर अपील प्रस्तुत की गयी है। इसलिये निर्णय दिनांक 07.01. 2004 से अपील पेश करने तक का समय मुजरा किये जाने पर अपील अवधि मध्य पेश है। अपील मियाद के लिये पृथक से धारा—5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र पेश किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 7.1. 2004 निरस्त किया जाकर, अपीलांट का प्राधिकार पत्र संख्या 34/95 बहाल किया जाकर, अपीलांट को राशन सामग्री की सप्लायी बहाल रखने के आदेश पारित किये जावे।

5— प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड उपलब्ध नहीं होने पर, बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद सुनी गयी।

6— बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ग्राम पंचायत तीतरखेडी पंचायत समिति,छबडा का उचित मूल्य दूकानदार है। अधीनस्थ न्यायालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, छबडा द्वारा आदेश दिनांक 7.1.2004 से अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाकर, अस्थायी अटेचमेंट डीलर मॉगीलाल उचित मूल्य दूकानदार तीतरखेडी द्वितीय के किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना किसी कारण व जॉच कर सत्यापन किये बिना हीं अपीलांट के विरूद्व मनगढन्त आधार कि अपीलांट ने अकाल राहत गेहूँ को थोक विक्रेता से प्राप्त कर, वितरण किये गये गेहूँ के कूपन पंचायत समिति में जमा नहीं कराये, गेहूँ का दुरूपयोग व खुर्द—बुर्द का दोषी मानकर, प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया है। इस संबंध में रसद विभाग ने ना तो थोक विक्रेता से गेहूँ उठाव की जॉच की ना हीं कूपन जमा होने का सत्यापन किया। प्रार्थी को बेवजह दोषी मानकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है।

7— विकास अधिकारी, पंचायत समिति, छबडा ने अपीलांट के विरूद्व फौजदारी कार्यवाहीं भी प्रस्तावित की गयी थी जो माननीय न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दर्ज हुई है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 27.10.2016 से अपीलांट को दोषमुक्त किया गया है। इस प्रकार अपीलांट ने कोई अनियमितता, गबन नहीं किया गया है। इस कारण प्रार्थी ने रसद

विभाग में प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने हेतु काफी निवेदन किया। किन्तु प्रार्थनापत्र पर कोई कार्यवाहीं नहीं की। इसके फलस्वरूप अपीलांट ने अपील प्रस्तुत की है।

8— अपीलांट माननीय न्यायालय अति.मुख्य न्यायिक दोषमुक्त हो चुका है तथा प्राधिकार पत्र बहाल कराने का पूर्ण अधिकारी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, विकास अधिकारी पंचायत समिति,छबडा का आदेश दिनांक 07.01.2004 निरस्त फरमाया जाकर, अपीलांट का उचित मूल्य दूकान ग्राम तीतरखेडी पंचायत समिति, छबडा का प्राधिकार पत्र संख्या 34/95 बहाल किया जाकर, राशन सप्लाई चालू करने हेतु जिला रसद अधिकारी, बारां को आदेशित किया जावे।

9— इसके विपरीत पेरोकार रसद प्रवर्तन अधिकारी ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करने हेतु निवेदन किया कि अपीलांट डीलर ने अकाल राहत के दौरान अनाज योजना के तहत श्रमिको को गेहूॅ वितरण में अनियमितता की गयी है। डीलर का दिनांक 04.01.04 को निरीक्षण करने पर डीलर ने राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमि. थोक विक्रेता से गेहूॅ 1650—71—500 क्वि. प्राप्त किये। जिसमें से पंचायत समिमि,छबडा में 1494—46.00 क्विंटल गेहूॅ के कूपन जमा कराये तथा 5 क्वि. गेहूॅ मौके पर पाये जो भी खराब हो चुके थे तथा शेष 150—75—500 क्वि. गेहूॅ स्टॉक में नहीं पाये गये। इस प्रकार डीलर द्वारा गेहूॅ का खुर्दु—बुर्द कर दुरूपयोग किया गया है। इसी आधार पर डीलर का प्राधिकार पत्र पंचायत समिति द्वारा खारिज किया गया है तथा धारा 3/7 ई0सी0एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया गया है। डीलर को माननीय न्यायालय द्वारा संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया है, जो अलग प्रकरण है। डीलर का प्राधिकार पत्र दिनांक 07.01.2004 को हीं खारिज किया जा चुका है। डीलर ने दिनांक 07.03.2017 को लगभग 13 वर्ष बाद अपील पेश की गयी है। वर्तमान में रिक्त उचित मूल्य दूकान की पूर्ति की जा चुकी है। अपील मियाद बाहर पेश की गयी है तथा डीलर का अब प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

10— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अपीलांट को माननीय न्यायालय अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां द्वारा आदेश दिनांक 27.10.2016 से दोषमुक्त किया जा चुका है। इसलिये अपीलांट प्राधिकार पत्र बहाल कराने का अधिकारी है। इसके विपरीत पेरोकार रसद का तर्क है कि डीलर को माननीय न्यायालय अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छबडा द्वारा संदेह का लाभ दिया गया है, जो अलग प्रकरण है तथा अपील मियाद बहार पेश की गयी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय विकास अधिकारी पंचायत समिति, छबडा द्वारा दिनांक 07.01.2004 को डीलर को दोषी पाये जाने पर, डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है। तभी से डीलर लगातार निलंबित चल रहा है। अपीलांट ने इस आदेश के विरूद्व अपील दिनांक 07.03.2017 को प्रस्तुत की गयी है, जो लगभग 13 वर्ष पश्चात् पेश की गयी है। अपीलांट ने अपील मे मियाद के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र धारा—5 मियाद अधिनियम में फौजदारी प्रकरण लंबित होने व बीमार होने का कारण अंकित किया है जो उचित प्रतीत नहीं होता है क्योकि मातहत न्यायालय ने अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 07.01.2004 को निलंबित किया गया है तथा अपील दिनांक 07.03.2017 को लगभग 13

वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की गयी है, विलम्ब के संबंध में बताये गये कारण उचित प्रतीत नहीं होते है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलांट ने हस्तगत अपील मियाद बहार पेश की गयी है।

11— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश किये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय विकास अधिकारी पंचायत समिति, छबडा का आदेश दिनांक 07.01.2004 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2019.10.18 10:34:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: